संख्या-549/2021/I/120745/2021-23-11099/2665/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2021**

विषय:- जनपद श्रावस्ती में नानपारा-शंकरपुर-लालपुर-हुजूरपुर मार्ग (प्र0जि0मा0-165ई) के चैनेज 15.555 कि0मी0 से 37.200 कि0मी0 तक (लम्बाई 21.645 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की जी0एस0टी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-5558 बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 30-09-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-252(1)/23-11-15-1/2(62)/15, दिनांक 03-10-2015 द्वारा जनपद श्रावस्ती में नानपारा-शंकरपुर-लालपुर-हुजूरपुर मार्ग(प्र0जि0मा0-165ई) के चैनेज 15.555 कि0मी0 से 37.200 कि0मी0 तक(ल0 21.645 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की लागत रू0 4858.17 लाख (रू0 अड़तालिस करोड़ अट्ठावन लाख सत्रह हजार मात्र) की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत प्रायोजना के माह जुलाई, 2017 के पश्चात कराये गये कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 23.81 लाख की देयता उत्पन्न हुई है।

अत: प्रश्नगत कार्य की मूल लागत रू0 4858.17 लाख में नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित कर कार्य की कुल लागत रू0 4881.98 लाख (रूपये अड़तालिस करोड़ इक्यासी लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 23.81 लाख (रूपये तेईस लाख इक्यासी हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-58 की धनराशि रू0 18.76 लाख एवं अनुदान संख्या-83 की धनराशि रू0 5.05 लाख सम्मिलित है।) वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(5) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(10) प्रश्नगत कार्य पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(11) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-252(1)/23-11-2015-1/2(62)/15, दिनांक 03-10-2015 की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्यो पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अनुदान सं0-58 हेतु अशासकीय सं0-ई-8-2587-दस-20212022 एवं अनुदान सं0-83 हेतु अशासकीय सं0-ई-8-2588-दस-20212022, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in